2024/53

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
26/12/24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है/ अन्य कार्य मे व्यस्थ है/ अभिभाषणगण कार्यालय पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 13/01/25 को पेश हो।
13/01/25	वकु॰ उप॰। TDR बुन्दी की रिपोर्ट जरिये पत्रांक भू. अ. / 24/6203 दिनांक 11/12/24 प्राप्त। शा॰ मि॰ पत्रावली है बहस सुनी गई। पत्रावली आदेश दिनांक 17/01/25 को पेश हो।
17/01/25	वकु॰ उप॰। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया, शा॰ मि॰ हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी राजस्थान

मिसल नंबर	दायरा दिनांक	पीठासीन अधिकारी
117 / प्रा०प० / 2024	25.07.2024	हरविन्दर डी० सिंह, आर०ए०एस०

(1) टीकमचन्द आत्मज श्री शम्भूलाल जाति कुम्हरावत निवासी छत्रपुरा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

(2) मोहनलाल आत्मज श्री रामप्रताप जाति कुम्हरावत् निवासी छत्रपुरा तहसील व जिला बून्दी राजस्थान।

–प्रार्थीगण

–बनाम–

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी राज०।

–अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लेण्ड रेवन्यु एक्ट

निर्णय

दिनांक–17.01.2025

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री लीलाधर सिंह।
अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी टीकमचन्द की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 3100/774 रकबा 0.2346 हैक्ट0 वाके ग्राम छत्रपुरा पटवार हल्का छत्रपुरा भू0अ0नि0क्षे0 बून्दी तहसील बून्दी जिला बून्दी राज० एवं प्रार्थी मोहन लाल की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 3099/774 रकबा 0.2345 हैक्ट0 वाके ग्राम छत्रपुरा पटवार हल्का छत्रपुरा भू0अ0नि0क्षे0 बून्दी तहसील व जिला बून्दी राज० में विस्थित हैं। प्रार्थीगण/वादीगण की उक्त कृषि भूमि से सीमाओं से सम्बधित विवाद हैं तथा ऐसी सीमा सम्बंधी विवादो के विनिश्चय के लिए लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 111 व 128 में प्रावधान किये गये हैं। जिसके तहत सीमाओं के सम्बंध में किसी विवाद की दशा में भू–अभिलेख अधिकारी जहां तक संभव हो विद्यमान सर्वेक्षण नक्शो के आधार पर एवं संक्षेप जांच करके यह सुनिश्चित करेगा कि कौनसा पक्षकार भूमि का वास्तविक स्वामी हैं एवं सर्वोत्तम हकदार हैं एवं उस अनुसार सीमा निश्चित करेगें एवं मौके पर नाप–चोप कर सीमा निश्चित करेगें। प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त कृषि भूमि की सीमा के सम्बंध में काफी समय से विवाद हैं इस बाबत प्रार्थीगण ने तहसीलदार बून्दी को पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर प्रार्थीगण की उक्त भूमियों खसरा संख्या 3100/774, 3099/774 का सीमाज्ञान दिनांक 25.05.2024 को किया गया जिसमें प्रार्थी टीकमचन्द की भूमि खसरा संख्या 3100/774 की भूमि खसरा संख्या 772 की ओर [illegible] सीमाज्ञान करके सीमाचिन्ह निशानात् निकली हुई पाई जहां प[illegible] संख्या 772 के खातेदारान् ने हटा बनाये गये। उक्त सीमाचिन्ह व निशानात [illegible] की भूमि पर खसरा संख्या 1874/776 के दिया इसी प्रकार खसरा संख्या 3099/[illegible] रहा हैं एवं वे उक्त खातेदार ने अपनी सीमा [illegible] बढ़ा कर [illegible] माननीय न्यायालय से लेण्ड 111, 128 सीमाज्ञान से पड़ौसी खातेदार प्रार्थीगण/वादी[illegible] हैं जिसके लिए अप्रार्थी के तहत भूमि का राजस्व [illegible] न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित तहसीलदार, बून्दी को आदेशित किया [illegible] के अभाव में प्रार्थीगण/वादीगण को कई कृषि भूमि का वास्तविक सर्वेक्षण व पत्थरगढ़ी के अभाव में प्रार्थीगण/वादीगण की कृषि भूमि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण प्रार्थीगण/वादीगण की कृषि भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं हो एवं पड़ौसी काश्तकार से सीमा सम्बंधी विवाद नहीं हो एवं मौके पर पड़ौसी काश्तकार से सीमा के सम्बंध में लड़ाई–झगड़ा नहीं हो एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2025.02.28 19:49:04 IST
Reason: SelfAttested